न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–47/2016

प्रेमा देवी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

पार्वती देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
17.10.2025	उभय पक्ष की ओर से पैरवी है। वादीगण की तरफ से एक आवेदन दिनांक 21.09.2024 अन्दर आदेश 06 नियम 17 व्य0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 17.10.2025 को आदेश हेतु नियत है। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि वादीगण रिश्ते में मॉ और बेटी है जो अनपढ़, गंवार महिला है जिन्होंने अपने पिता वो पति द्वारा छोड़े गये सम्पत्ति का बंटवारा वास्ते वर्तमान वाद दाखिल किया है, जिन्हें पहले वर्तमान वाद दाखिल करने के समय पारिवारिक सम्पत्ति की पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण कुछ तथ्यों का पूर्ण विवरण देना छुट गया है और साथ ही कुछ विवरण वाद पत्र में गलत अंकित हो गया है, जिसे इसका पूर्ण विवरण एवं सही विवरण वाद पत्र में देना और हटाना आवश्यक है ताकि वर्तमान वाद का निष्पादन सही एवं पूर्णरूप से हो सकें। वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनों ही पक्ष विरबल बैठा के वंशज है। विरबल बैठा अपने पीछे मात्र एक पुत्र बाबुराम बैठा को छोड़कर देहान्त कर गये एवं वाद में बाबूराम बैठा अपने पीछे अपनी दुसरी पत्नी सोना देवी वो एक लड़का हिरामन बैठा वो एक पुत्री प्रेमा देवी को छोड़कर देहान्त कर गये। बाबूराम बैठा की पहली पत्नी मंतुरा देवी उनके जीवन काल में ही देहान्त कर गयी। बाबूराम बैठा वो उनके पिता विरबल बैठा को रकबा 15 कट्ठा 18 धुर खरीदगी भूमि वो रकबा 76 डी0 भूमि बंदोबस्ती से हासिल था जिसमें खरीदगी एराजी में से 6 कट्ठा 16 धुर बाबूराम बैठा बिक्री वो बख्शीश कर दिया एवं उनके पास खरीदगी एराजी में से रकबा 9 कट्ठा 2 धूर एवं बंदोबस्ती वाली कुल एराजी 76 डी0 भूमि बची जिसका पक्षकारों के बीच बंटवारा होना जरूरी है परन्तु	

<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–47/2016</u>

प्रेमा देवी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

पार्वती देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 17.10.2025	भूलवश कुल एराजी का विवरण वाद पत्र में देना छूट गया एवं साथ ही बाबूराम बैठा अपनी सम्पति में से बाबूराम बैठा द्वारा अपनी पत्नी सोना देवी को मौजा शिकारपूर की खाता 119 खेसरा 799 रकबा 19 धूर भूमि बख्शीश किया गया है और इसी बख्शीश वाली भूमि को बाबूराम बैठा के लड़का हिरामन बैठा ने अपनी पत्नी पार्वती देवी को एक गलत बख्शीशनामा दस्तावेज दिनांक 20.06.1991 को लिख दिया जिसके विरूद्ध वाद पत्र में अनुतोष की मांग करना आवश्यक है। इस संशोधन आवेदन से वर्तमान वाद के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होता है बल्कि इससे वर्तमान वाद का निष्पादन पक्षकारों के बीच सही तरह से होगा तथा विवाद वर्तमान वाद के फैसलों से मुमकिन हे। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आवेदनानुसार प्रस्तावित संशोधन करने की अनुमति प्रदान करें। प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 23.01.2025 को दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया कि वादीगण का आवेदन कानून एवं तथ्य की दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं है बहरहाल खारिज होने योग्य है। वादीगण का यह वाद 2016 में दाखिल किया गया है। प्रस्तुत वाद में वादी साक्ष्य समाप्त हो चुका है और प्रतिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य समापत हो गया है और कुछ कागजात प्रदर्श करने का आवेदन दिया गया है जो सुनवाई हेतु लंबित है यानि उपरोक्त वाद अंतिम निष्पादन के कगार पर है। प्रतिवादीगण द्वारा 27.02.2017 को ब्यानतहरीरी दाखिल किया गया एवं कथन किया गया कि हिरामन बैठा वो बाबुराम बैठा के बीच वैशाख सन् 1990 ई0 में आपसी सहमति से बंटवारा हो गया। वादिनी ने वाद पत्र के मद नं0–1(क) में कुछ जमीन जोड़ने का निवेदन किया है जो भूमि मद सं0–1(क) में जोड़ना चाहते है उसका विवरण पूर्व	

<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–47/2016</u>

प्रेमा देवी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

पार्वती देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 17.10.2025	से मद सं0–02 वो 03 में दर्ज है। संशोधन आवेदन पत्र के कंडिका 05 वो 06 महज प्रतिवादी को परेशान करने के नियत से वादपत्र में जोड़ने का निवेदन किया गया है। बिना उचित कारण और आधार के वादग्रस्त भूमि के रकबा में कमी–वेसी नहीं किया जा सकता है। वाद में अब प्रतिवादी का साक्ष्य समाप्त होने वाला है। वादीगण ने उपरोक्त वाद में 6 वर्ष वाद यह संशोधन लाया है, इससे पूर्व यह संशोधन क्यों नहीं लाया गया है, इसका कोई उचित कारण नहीं दिया गया है। प्रस्तावित संशोधन से अब वाद समान बंटवारा का नहीं रह जाता है बल्कि अनुसांगिक अनुतोष की श्रेणी में चला आता है, इसलिए प्रस्तावित संशोधन से वाद के कारण और वाद के प्रकृति में भी बदलाव हो रहा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण का आवेदन विशेष खर्चे के साथ खारिज किया जाए। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण द्वारा एक आवेदन दिनांक 21.09.2024 अन्दर आदेश 06 नियम 17 व्य0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है तथा आवेदनानुसार वाद पत्र में संशोधन की अनुमति हेतु निवेदन किया गया है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 23.01.2025 को प्रतिउत्तर दाखिल किया एवं वादीगण का आवेदन खारिज होने योग्य बतलाया। विधि का सुस्थापित नियम है कि पक्षकार को ऐसे किसी भी संशोधन करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो वाद से संबंधित प्रतीत होता हो, जिससे वाद का निष्पादन प्रभावी ढंग से किया जा सकें और वाद की बहुलता को रोका जा सकें। वादीगण द्वारा आवेदन में वर्णित सभी संशोधन आवश्यक प्रतीत होता है। अतः न्यायहीत में वादीगण का आवेदन दिनांक 21.09.2024 को मो0–1000 रू0 हर्जे पर	

<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–47/2016</u>

प्रेमा देवी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

पार्वती देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 17.10.2025	स्वीकार किया जाता है। वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि समय–सीमा के अंदर वाद पत्र में संशोधन करे। वाद दिनांक 04.11.2025 को वादीगण द्वारा वाद पत्र में संशोधन वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	